संख्या-08/2024/197 /61-2024

प्रेषक,

नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊः दिनांक 05 सितम्बर, 2024

विषयः-विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के श्रमसाध्य कार्यो हेतु मानदेय की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1519/सी0ई0ओ0-1-17/1-2022/1-2022 दिनांक 25 अगस्त, 2023 एवं पत्र संख्या-786/सी0ई0ओ0-1-17/1-2022/1-2022 दिनांक 29 मार्च, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के श्रमसाध्य कार्यो हेतु एक माह का मूल वेतन के समतुल्य मानदेय की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त आपके उक्त संदर्भित पत्रों के तालिका भाग-अ में उल्लिखित विधान सभा सामान्य-2022 के श्रमसाध्य कार्यो से जुड़े कार्मिकों तथा निर्वाचन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता एवं उनके द्वारा निर्वहन किये गये दायित्वों के अनुसार एक माह के मूल वेतन के समतुल्य मानदेय, जिसकी कुल अनुमानित लागत रू0 11,53,99,100-00 (रू ग्यारह करोड़ तिरपन लाख निन्यानबे हजार एक सौ मात्र) आगणित है, को निम्नानुसार स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

भाग- (अ) निर्वाचन कार्य से सीधे जुड़े नियमित अधिकारी/ नियमित कर्मचारीः-

क्र0 सं0	लाभार्थियों की श्रेणी	विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु-			
		प्रस्तावित मानदेय की दर	01 माह का अनुमानित मूल वेतन (रू0)	अनुमानित संख्या	अनुमानित व्यय (रू0)
1	2	3	4	5	6
1	समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश	01 माह का मूल वेतन	120000.00	75	9000000.00
2	समस्त रिटर्निंग आफिसर, उत्तर प्रदेश	01 माह का मूल वेतन	60000.00	403	24180000.00
3	समस्त सहायक रिटर्निंग आफिसर, उत्तर प्रदेश	01 माह का मूल वेतन	50000.00	925	46250000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दौरान कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ में कार्यरत समस्त नियमित अधिकारी/ नियमित कर्मचारी	01 माह का मूल वेतन	....	58	4212100.00
5	निर्वाचन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नियमित अधिकारी/नियमित कर्मचारी				
	(1) अनु सचिव	01 माह का मूल वेतन	86000.00	2	172000.00
	(2) निजी सचिव/ अपर निजी सचिव (सचिव, निर्वाचन हेतु)	01 माह का मूल वेतन	83000.00	2	166000.00
	(3) निजी सचिव/ अपर निजी सचिव (विशेष सचिव, निर्वाचन हेतु)	01 माह का मूल वेतन	83000.00	2	166000.00
	(4) अपर निजी सचिव (संयुक्त सचिव, निर्वाचन हेतु)	01 माह का मूल वेतन	55000.00	1	55000.00
	(5) अनुभाग अधिकारी	01 माह का मूल वेतन	83000.00	1	83000.00
	(6) समीक्षा अधिकारी	01 माह का मूल वेतन	58000.00	3	174000.00
	(7) सहायक समीक्षा अधिकारी	01 माह का मूल वेतन	52000.00	1	52000.00
	(8) कम्प्यूटर सहायक (नियमित)	01 माह का मूल वेतन	35000.00	1	35000.00
	(9) वरिष्ठ अनुसेवक (नियमित)	01 माह का मूल वेतन	43000.00	1	43000.00
	(10) अनुसेवक (नियमित)	01 माह का मूल वेतन	41000.00	1	41000.00
6	जिला निर्वाचन कार्यालयों के समस्त नियमित अधिकारी व नियमित कर्मचारी:-				
	(1) उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश	01 माह का मूल वेतन	90000.00	75	6750000.00
	(2) सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	01 माह का मूल वेतन	55000.00	31	1705000.00
	(3) प्रधान सहायक	01 माह का मूल वेतन	55000.00	66	3630000.00
	(4) वरिष्ठ सहायक	01 माह का मूल वेतन	50000.00	204	10200000.00
	(5) कनिष्ठ सहायक	01 माह का मूल वेतन	25000.00	87	2175000.00
	(6) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (नियमित)	01 माह का मूल वेतन	20000.00	53	1060000.00
	(7) स्टेनो (नियमित) (02 प्रति जिलाधिकारी कार्यालय)	01 माह का मूल वेतन	25000.00	150	3750000.00
	(8) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (नियमित) (01 प्रति जिलाधिकारी कार्यालय)	01 माह का मूल वेतन	20000.00	75	1500000.00
			योग-	**2217**	**115399100.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय अशा0 **संख्या-E-12-216-X-2024-25, दिनांक: 29-08-2024** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(नवदीप रिणवा)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त :-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निर्वाचन अनुभाग-1, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ)
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निर्वाचन अनुभाग-1, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ)
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(चन्द्रशेखर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।